मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, 4–ए, गोखले मार्ग,

लखनऊ

पत्रांक: 799/मविविनिलि/तक/म0वि0वि0नि0लि0/सा0योजना   दिनांक: 28/05/2010

विषय:–वर्ष 2010–11 के लिये सामान्य योजनान्तर्गत निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लक्ष्यों का निर्धारण।

मुख्य अभियन्ता(वितरण),
विद्युत वितरण क्षेत्र,
लेसा/लखनऊ/बरेली/फैजाबाद।

उपरोक्त विषयक, निदेशक(वाणिज्य),उ0प्र0पाकालि, लखनऊ के पत्र संख्या 1325–रेस्पो/तक0/नलकूप(लक्ष्य) दिनांक 21.04.2010 (छायाप्रति संलग्न), का संदर्भ ग्रहण करें। वर्ष 2010–11 के लिये सामान्य योजना में निजी नलकूपों की ऊर्जीकरण के लक्ष्य जनपदवार संलग्नक के स्तम्भ–3 के अनुसार निर्धारित किये जाते है।

कृपया लक्ष्यों की प्राप्ति निम्न निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

1. सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण, निर्धारित लक्ष्यों की सीमा में ही किया जाए।
2. लम्बित बी0एण्ड एल0 फार्मो की वरीयता सूची वितरण मण्डल, वितरण खण्ड तथा उपखण्ड कार्यालय के सूचना पटों पर दर्शायी जाए।
3. नलकूपों का ऊर्जीकरण वरीयता के आधार पर किया जाए।

अतः आपसे अपेक्षा है कि निजी नलकूपों के ऊर्जन की कार्यवाही त्वरित गति से किया जाना सुनिश्चित करें एवं **प्रत्येक माह की 01 तारीख तक** निजी नलकूपों की ऊर्जन की जनपदवार विगत माह की प्रगति प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि शासन को प्रगति आख्या ससमय उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक:–यथोपरि।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, मविविनिलि, लखनऊ को इस निर्देश से प्रेषित कि वह लक्ष्य प्राप्ति हेतु समुचित मात्रा में सामग्री क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगें।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन
9वॉं तल,शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ

(1)

संख्या: 3051–रेस्पो/तक0/नलकूप | दिनांक : जुलाई 10 ,2008

विषयः– सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमांचल–मेरठ/पूर्वांचल–वाराणसी
✓मध्यांचल–लखनऊ/दक्षिणांचल–आगरा।

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 2252/24–1–08–49पी/04टीसी–11, दिनांक 04.07.08 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचित किया गया है कि सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

No. 6480/11.1.08 Dt.
Director
CE (HRD)
CE (T)
CE (MM.)/RGGVY
CE (Com.)
GM (Fin.)
S.E. (Equator)
CA
MD

1. पूर्व की भांति निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को सामान्य योजना के अन्तर्गत ट्रान्सफारमेंशन चार्जेज व 60 मीटर प्रति हार्स पावर की दर से अधिकतम 300 मीटर की लाइन चार्जेज की छूट प्रदान की जाये।
2. सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्तमान में देय अनुदान की धनराशि रू0 55000.00 से बढ़ाकर रू0 68000.00 प्रति नलकूप कर दी जाये। इसमें से 13 हजार का अतिरिक्त अनुदान कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वहन किया जायेगा।
3. शासनादेश सं0 4148/24–1–2007–49पी/04टीसी–11, दिनांक 28.12.2007 के प्रस्तर 2 (1) "25 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर से न्यूनतम 02 निजी नलकूपों का संयोजन अवश्य किया जाये। यदि कोई उपभोक्ता 25 के0वी0ए0 उपकेन्द्र से सिंगिल कनेक्शन लेना चाहता है तो देय सब्सिडी के अतिरिक्त आंकलन के अनुसार अधिक धनराशि उपभोक्ता द्वारा देय होगी" को निष्प्रभावी किया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त शासनादेश के अनुरूप निजी नलकूपों के नये संयोजन स्वीकृत करने हेतु उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।

(आर0एस0पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता (रेस्पो)

संख्याः –रेस्पो/तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उनके पत्रांक 2252/24–1–08–49पी/04टीसी–11, दिनांक 04.07.08 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0एस0पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता (रेस्पो)